

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

न्याली बेवा भागचन्द जाट नि. बावडी वगैराह

बनाम

हेमराज पिता रामस्वरूप जाट नि. बावडी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 45/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
03.02.20	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम बावडी पटवार हल्का बावडी तहसील जहाजपुर में आ० न० 96/20 रकबा 01.07 बीघा, आ.न. 199/4 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1609/96 रकबा 03.16 बीघा, आ.न. 95 रकबा 18.12 बीघा, आ.न. 122 रकबा 19.19 बीघा, आ.न. 149/1 रकबा 2.10 बीघा, आ.न. 150/1 रकबा 1.00 बीघा, आ.न. 710/1 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 712/3 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 712/4 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 713/3 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 713/4 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 714/1 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 173/1 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 875/1 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 210/3 रकबा 0.10 बीघा, आ.न. 259/3 रकबा 1.16 बीघा, आ.न. 400/5 रकबा 0.13 बीघा, आ.न. 622/5 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 907/3 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 922/3 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 1510/3 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 1513/4 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1515/4 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1516/1 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1631/259 रकबा 0.19 बीघा, आ.न. 83/13 रकबा 0.13 बीघा है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी ववाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बावडी पटवार हल्का बावडी तहसील जहाजपुर में आ० न० 96/20 रकबा 01.07 बीघा, आ. न. 199/4 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1609/96 रकबा 03.16 बीघा, आ.न. 95 रकबा 18.12 बीघा, आ.न. 122 रकबा 19.19 बीघा, आ.न. 149/1 रकबा 2.10 बीघा, आ.न. 150/1 रकबा 1.00 बीघा, आ.न. 710/1 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 712/3 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 712/4 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 713/3 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 713/4 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 714/1 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 173/1 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 875/1 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 210/3 रकबा 0.10 बीघा, आ.न. 259/3 रकबा 1.16 बीघा, आ.न. 400/5 रकबा 0.13 बीघा, आ.न. 622/5 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 907/3 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 922/3 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 1510/3 रकबा 0.05 बीघा, आ.न. 1513/4 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1515/4 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1516/1 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1631/259 रकबा 0.19 बीघा, आ.न. 83/13 रकबा 0.13 बीघाकी बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु मू. अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

